Date : 2 मई 2023

नेहरुवाद पर आधारित विज्ञान प्रसार का अंत

संदर्भ- हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में विज्ञान प्रसार को समाप्त करने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विंगों के तहत काम कर रहे स्वायत्त समाजों के कामकाज को युक्तिसंगत बनाने के लिए शुरू की गई कवायद का एक हिस्सा था।

विज्ञान प्रसार

- विज्ञान प्रसार, **विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग** के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्तशासी संगठन है। जिसकी वास्तविक शुरुआत 1989 से हुई।
- यह 1947 से सरकारी संस्थानों में वैज्ञानिक सोच व नीतियों की श्रृंखला का अंग रहा है।
- विज्ञान प्रसार की स्थापना के उद्देश्य विज्ञानवादी विचार को लोकप्रिय करना, इसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, अभ्यास, विकास को बढ़ावा देने से हितधारकों में दो तरफा दृष्टिकोण युक्त रणनीतिक संवाद सांझा किया जा सकता है।
- यह नेहरुवादी विचारधारा पर आधा◌ारित था जो स्वतंत्रता के बाद, वैज्ञानिक जागरुकता के साथ स्वयं को खोज रहा था।

नेहरुवादी विचारधारा

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु का जीवन दर्शन व उनके राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक आदर्शों को नेहरुवाद की संज्ञा दी जाती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के

समय से ही नेहरु भारत को स्वतंत्र कराने के साथ विश्वपटल पर सशक्त देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। नेहरुवाद विचार धारा के मुख्य तत्व निमनलिखित हैं-

- नेहरु स्वयं को समाजवादी व लोकतंत्रवादी कहते थे उनके अनुसार समाजवाद का अर्थ- विवेक और मन की स्वतंत्रता, उद्यम की स्वतंत्रता और एक नियत पैमाने पर निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है। जिसका परिचय उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। गांधीजी के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने गांधीजी की विचारधारा को कभी अपने विचारों पर हावी नहीं होने दिया।
- नेहरु के लिए आधुनिकीकरण के लिए सात लक्ष्य निर्धारित किए थे- **राष्ट्रीय एकता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगिकीकरण, समाजवाद, धार्मिक सद्भाव, गुटनिरपेक्ष और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास।**
- नेहरु ने देश को सशक्त बनाने की वकालत की। जिसके लिए नेहरु ने **औद्योगिकीकरण, धन उत्पादक क्षमता को बढ़ाने व नागरिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा** के उपयोग को प्रमुखता दी।
- देश में आर्थिक सुधार के लिए कृषि सुधार के लिए **हरित क्रांति** को प्रोत्साहित किए जिसके तहत कृषि को विकसित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, कृषि उपकरणो का आविष्कार किया गया। जो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए।
- नेहरुजी ने देश की सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सामाजिक नीतियों का प्रतिपादन किया उनके अनुसार देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस करने क लिए बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा देना आवश्यक है। अतः उनके कार्यकाल में देश में कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की गई।
- नेहरुजी के अनुसार देश को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने का एक मात्र तरीका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिससे समाज में मध्ययुगीनता व पुरोहितवादी संस्कृति का अंत किया जा सकता है।

वैज्ञानिक प्रगति में नेहरुवाद

- देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में होमी जहाँगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में सहयोग और स्वायत्तता प्रदान की।
- नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना में पूरे भारत में 'विज्ञान मंदिर' खोलने की योजना का समर्थन किया। इन विज्ञान केंद्रों ने ग्रामीण आबादी में वैज्ञानिक विचारों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जो बुनियादी वैज्ञानिक उपकरणों, किताबों, फिल्म स्लाइड आदि से सम्पन्न थे।
- उनके कार्यकाल में देश के कुछ प्रमुख संस्थानो का उद्घाटन हुआ जैसे- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय लोक प्रशासन संस्थानों की स्थापना हुई। इन संस्थानों में विज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और देश में एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और इसको बढ़ावा देने के लिए मई 1971 में स्थापित किया गया था। 1982 में जिसके अंतर्गत एक अन्य संस्था NCSTC की शुरुआत की गई।

नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन (NCSTC)- इसकी स्थापना का उद्देश्य प्रदूषण, ऊर्जा संकट,और अंधविश्वास जैसे तर्कहीन दृष्टिकोण व नई सामाजिक चुनौतियों को खत्म करना और प्रौद्योगिकी पर सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना था। इसके तहत-

- इसने बड़ी संख्या में स्वैच्छिक समूहों और जमीनी स्तर के विज्ञान आंदोलनों का समर्थन किया।
- 'भारत जन विज्ञान जत्था' (BJVJ) नामक एक जन आंदोलन NCSTC के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जिसने कई स्वैच्छिक संगठनों के को जन्म दिया।
- स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्क ने ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (AIPSN) का आकार ले लिया, और यह आज तक बना हुआ है।
- NCSTC के साथ ही विज्ञान व प्रौदयोगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान प्रसार का उद्भव हुआ, जो समान प्रेरणा से कार्य करते हैं। विज्ञान प्रसार ने 1990 के दशक में वैज्ञानिक सोच पर सामग्री तैयार की और रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया।

विज्ञान प्रसार के प्रसारण कार्यक्रम-

- इसमें 'विज्ञान विधि' (16 भाषाओं में विज्ञान की पद्धति पर 13-भाग की रेडियो श्रृंखला),
- 'भारत की छाप' (भारत में विज्ञान के इतिहास पर 13-भाग की टेलीविजन श्रृंखला),
- 'मानव का विकास' (144- भाग 18 भाषाओं में मानव विकास पर रेडियो श्रृंखला),
- 'क्यों और कैसे' (महत्वपूर्ण सोच पर टेलीविजन श्रृंखला), और
- 'ए क्वेश्चन ऑफ साइंस' (वैज्ञानिक प्रश्नों पर टेलीविजन शो)।
- इनके अतिरिक्त वैज्ञानिकों के जीवन पर फिल्म व कार्यक्रम,
- खगोलीय घटनाओं पर आधारित जैसे चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण कार्यक्रम आदि।

विज्ञान प्रसार की वर्तमान दशा-

- पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण।
- वैज्ञानिक कार्यक्रमों के स्थान पर राजनीतिक नीतियों पर आधारित कार्यक्रम जैसे परीक्षा पर चर्चा,गणतंत्र दिवस भाषण आदि का प्रसारण।
- प्राचीन ग्रंथों व योग पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण। जैसे वेदों में विज्ञान, योग के वैज्ञानिक लाभ आदि।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

प्रारंभ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित कार्यक्रमों पर आधारित विज्ञान प्रसार अब मात्र राजनीतिक नीतियों व राजनीतिज्ञों के कार्यक्रमों का हिस्सा मात्र रह चुका है अतः इसके बंद होने पर देश में नेहरुवादी सोच तथा विज्ञान की उन्नति या अवनीति पर कोई असर नहीं आ सकता है।

स्रोत

The Hindu
https://vigyanprasar.gov.in/about-us/introduction/
https://dst.gov.in/hi/about-us/introduction

Gunjan Joshi

निजी क्षेत्र में आरक्षण

संदर्भ- हाल ही में केंद्रीय न्याय व सामाजिक मंत्री ए नारायणस्वामी ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण के बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं अतः निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। हाल ही में हरियाणा में राज्य के नागरिकों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार का रोजगार विधेयक 2020

प्रस्तुत बिल को हरियाणा विधानसभा में नवंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया, तथा 15 जनवरी 2022 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार का विधेयक हरियाणा के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी इस प्रकार के कानून का प्रावधान है।
अधिनियम का उद्देश्य राज्य के स्थानीय नागरिकों में राज्य में ही रोजगार मुहैया कराना है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को राज्य में रहने वाले नागरिकों हेतु कम से कम पाँच वर्षों के रोजगार के पदों में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

विधेयक की विशेषताएं-

- विधेयक निजी प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों को आरक्षित करना चाहता है।

- वांछित कौशल के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर निजी प्रतिष्ठान छूट का दावा कर सकते हैं।
- प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से 50 हजार रुपये से कम आय वाले सभी कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।

विधेयक से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- निवास के आधार पर निजी प्रतिष्ठानों में आरक्षण प्रदान करने वाला राज्य का कानून संवैधानिक नहीं हो सकता है।
- 75% की सीमा तक आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर सकता है।
- किराए पर लेने में निजी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध उनकी दक्षता के लिए हानिकारक हो सकता है।

विधेयक के सकारात्मक पक्ष

- **पलायन में कमी-** इस प्रकार के कानून से राज्यों में पलायन कम हो सकता है। जो स्थानीय निवासी रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर प्रवास करते हैं। उन्हें राज्य में ही रोजगार प्रदान किया ज सकेगा।
- **राज्यों के अतिरिक्त भार में कमी-** राज्यों में रोजगार के असमान संसाधनों के कारण किसी एक राज्य में जनसंख्या में अत्यधिक कमी व किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक हो सकता है जिससे राज्य के संसाधनों में कमी आ सकती है। और राज्य पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इस प्रकार के विधेयक से अन्य राज्यों के निवासियों का राज्यों में आगमन कम हो सकेगा।
- **सामाजिक न्याय-** इस विधेयक के माध्यम से वह वर्ग जो अन्य राज्यों में जाने के लिए सक्षण नहीं है, उन्हें सामाजिक न्याय मिल सकेगा।
- **कृषि का विकास-** पलायन के कारण कई राज्यों(उत्तराखण्ड) में कृषि भूमि क्षेत्र बंजर हो गया है, इसका एक कारण कृषकों की छोटी जोत वाले कृषि क्षेत्र हैं जो आजीविका के पूर्ण साधन उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं। अतः कृषि के साथ आजीविका के अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। स्वराज्य में रोजगार मुहय्या होने पर भूमालिकों द्वारा छोटी जोत वाली कृषि का भी विकास किया जा सकेगा।

संवैधानिक चुनौतियां-

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन-** संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को जन्म, लिंग, स्थान, जाति या धर्म के आधार किसी भी स्थान पर निवास करने या व्यवसाय करने के लिए वंचित नहीं किया जा सकता, यह विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **व्यवसाय करने के अधिकार पर रोक-** यह व्यवसायी को अपने व्यवसाय में 75% पदों में स्थानीय निवासियों की भर्ती करने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 19 के तहत किसी

भी व्यवसायी को अपना पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2002 निर्णय के अनुसार किसी भी निजी शिक्षा संस्थान को अपने प्रबंधन व प्रशिक्षण में स्वायत्तता होनी चाहिए। अतः यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कार्य करता है।

- **संविधान का अनुच्छेद 16(2)**, सार्वजनिक स्थानों से संबंधित रोजगार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- स्थानीय आधार पर 75% तक का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों में आरक्षण को 50% तक सीमित करने का निर्णय दिया था।
- निजी क्षेत्र के उद्योगों या कंपनियों पर नियुक्तियों के आधार पर लगाया गया यह आरक्षण उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुँचा सकता है।

आगे की राह –

- विधेयक से पूर्व राज्यों में श्रम शक्ति में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ताकि इस कानून के कारण नियोक्ता वर्ग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई हानि न आए।
- राज्य कंपनियों को आवश्यकता आधारित आरक्षण के लिए निर्देशित कर सकता है।
- इस प्रकार के कानून को हरियाणा या दिल्ली जैसे सभी राज्यों में लागू करने से कम आय वाले श्रमिक वर्ग का अपने राज्यों में भीषण पलायन होगा। और इस विशाल वर्ग के लिए एक साथ रोजगार की व्यवस्था करना एक चुनौती हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के राज्यों जैसे बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि को अपने राज्य में रोजगार के उचित साधन सृजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

स्रोत

economic times
www.newindianexpress.com
prsindia.org

Gunjan Joshi

yojnaias.com